अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सुपौल**....., सं0.....106....., सन् .....**2026**.....

केस का प्रकार.....**भूमि विवाद अपील**.....**(राजेन्द्र यादव एवं अन्य बनाम राम प्रसाद यादव एवं अन्य तथा राज्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
01.07.2026	प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली (सुपौल) के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-59/2025-26 (राजेन्द्र यादव वगै0 बनाम राम प्रसाद यादव वगै0) में दिनांक-26.05.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वाद-पत्र एवं निम्न न्यायालय आदेश का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली के स्तर से उभयपक्ष को सुनकर प्रश्नगत भूमि के स्वत्व के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में जाने का आदेश दिया गया है। जो यथोचित प्रतीत होता है। स्वत्व का निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः उक्त के आलोक में इस अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है। आयुक्त लेखापित एवं शुद्धित। कोशी प्रमंडल, सहरसा। आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा